16/9/16	वादिया एव वकील प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वकील प्रतिवादी व वादिया। अप्रार्थी संख्या 3 से 8 व 10 से 17 का तलबाना सम्मन अदा करने के लिए समय चाहते है उन्हे दिनाक 5/07/16 को तीन दिन मे तलबाना पेश करने की हिदायत दी गई थी लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी तलबाना सम्मन पेश नही किया है। अत वाद 9R2 जा॰दी॰ के तहत खारिज किया जाता है। मिसल फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 16:21:46 IST
Reason: SelfAttested